2031
25-7-18

डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक / Ref. : रा.से.यो. / 1898 / 2018–19 दिनांक 23.07.2018

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / कार्यक्रमाधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
विश्वविद्यालय से सम्बन्ध सभी सम्बन्धित महाविद्यालय।

विषय–वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु आवश्यक निर्देश।

महोदय / महोदया,

शैक्षणिक सत्र 2018–19 प्रारम्भ हो चुका है, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करने की कृपा करें।

1. **आय व्यय विवरण एवं वार्षिक आख्या–**
   वित्तीय वर्ष 2017–18 समाप्त हो चुका है। आप के महाविद्यालय को सामान्य एवं विशेष शिविर कार्यक्रमों के अनुदान की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, यदि आप के महाविद्यालय द्वारा आय–व्यय विवरण एवं वार्षिक आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है, तो आपसे अनुरोध है कि 31 अगस्त, 2018 तक सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर कार्यक्रम का आय–व्यय विवरण एवं वार्षिक आख्या, सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष कार्यक्रम निर्धारित प्रपत्र पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। अन्यथा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु आप के महाविद्यालय को राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत इकाई का आवंटन करना सम्भव नहीं होगा। इसी के साथ यह भी अवगत कराना है कि अगस्त माह में सम्परीक्षा सम्पन्न होनी है। इसलिए समस्त अभिलेख तैयार कर लें। जिससे कि निर्धारित तिथि पर आपके महाविद्यालय सम्परीक्षा सम्पन्न हो सके।

2. **कार्यक्रमाधिकारियों की नियुक्ति–**
   1. यदि आप के महाविद्यालय में 15 नवम्बर, 2018 तक किसी कार्यक्रमाधिकारी का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है अथवा पूर्ण हो चुका है तो आप 01 अगस्त से 30 सितम्बर, 2018 तक नये कार्यक्रमाधिकारी के चयन हेतु प्रक्रिया अवश्य पूर्ण करा लें। विश्वविद्यालय में कार्यक्रमाधिकारियों के चयन हेतु साक्षात्मकार उक्त अवधि में सम्भव होगा। उक्त तिथि के बाद साक्षात्कार कराना सम्भव नहीं होगा। बिना कार्यक्रमाधिकारी की नियुक्ति के इकाई का संचालन की अनुमति नहीं है। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि यदि कोई कार्यक्रमाधिकारी महाविद्यालय को छोड़कर चला गया है तो उसके स्थान पर तुरन्त नया कार्यक्रमाधिकारी नियुक्ति करा लें।
   2. अप्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कराने हेतु डॉ0 आर.पी. यादव, मो. 9889377446, इण्डिया लिटेरसी बोर्ड, लिटेरसी हाउस, मानक नगर कानपुर रोड लखनऊ से सम्पर्क करें।
   3. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कार्यक्रमाधिकारियों के नाम मोबाइन नंबर, ई–मेल आई.डी. एवं प्रशिक्षित कार्यक्रमाधिकारी के प्रमाण पत्र 30 सितम्बर, 2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दें।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु छात्र / छात्राओं का पंजीकरण एवं कार्ययोजना प्रेषित करने की तिथियाँ–**

i. वर्ष 2018–19 की कार्य योजना 31 अक्टूबर, 2018 तक अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाय। विश्वविद्यालय को कार्ययोजना प्राप्त होने के उपरान्त ही किये कार्यक्रम मान्य होगें। कार्ययोजना निम्न प्रारूप पर प्रेषित की जायें–

क्र0सं0	तिथि	समय	घण्टे	कार्य का विवरण	कार्यक्रम स्थल
1.	08.09.2017	8am to 4pm	8 घण्टे	साक्षरता अभियान	मुहम्मदपुर चयनित ग्राम

ii. महाविद्यालय में आवंटित छात्र संख्या के आधार पर छात्र/छात्राओं का पंजीकरण 30 सितम्बर, 2018 तक अवश्यक कर लें। पंजीकृत छात्र संख्या, सूची, निवेश पत्र, कार्ययोजना एवं पंजीकरण शुल्क 31 अक्टूबर, 2018 तक विश्वविद्यालय को आवश्य उपलब्ध करा दें। इकाई द्वारा चयनित ग्राम/बस्ती का नाम एवं उसके प्रधान का नाम एवं मोबाइल नंबर अवश्य प्रेषित करें।

iii. सूची एवं निवेश पत्र में छात्र/छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, वर्ग (जाति), कोड नम्बर, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र एवं ई–मेल आई0डी0 अवश्य अंकित हो। निर्धारित समय पर उक्त समस्त प्रपत्र प्राप्त होने पर ही इकाई का संचालन मान्य होगा। सूची का पत्र निम्नवत है–

क्रमांक छात्र/छात्रा का नाम/पिता का नाम/कक्षा/वर्ग/मो0नं0/कोड नं0/ मतदाता पहचना पत्र।

4. मतदाता जागरूकता अभियान/आधार कार्ड के अन्तर्गत कार्यक्रमो का आयोजन–

1. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश के समय ही अर्ह छात्र/छात्राओं का मतदाता पहचान पत्र बनने हेतु फार्म–06 भराया जाना आवश्यक है। अतः प्रवेश के समय ही अर्ह छात्र/छात्राओं का फार्म–06 भरवा लिये जाय। फार्म–06 के साथ फोटो, आयु व निवास प्रमाण–पत्र संलग्न अनिवार्य है।
2. फार्म–06 इंटरनेट पर www.ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट से अथवा तहसील/जिला निर्वाचन आयोग कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. फार्म–06 अनिवार्य रूप से भरकर एवं सूची बनाकर जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि रा0से0यो0 में अर्ह पंजीकृत छात्र/छात्राओं का या तो वोटर आई0डी0 कार्ड बन चुका हो या मतदाता पहचान बना हो अन्यथा बनवाने हेतु उन्हें फार्म–06 पूर्ण रूप से भरकर जमा कर दिया हो।
5. 25 जनवरी, 2019 को महाविद्यालय में वृहद स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कराया जाय, इसके अन्तर्गत मतदाता जागरूकता गोष्ठी, रैली, मानव श्रृंखला, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत एवं नुक्कड नाटकों में से तीन कार्यक्रमों का आयोजन अवश्य कराया जाय। आयोजित कार्यक्रमों को फोटो, पेपर कटिंग सहित रिपोर्ट विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित करें।
6. राष्ट्रीय सेवा योजना के पंजीकृत छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड बनवाने हेतु छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जिस ग्राम को आप ने चुना है उस गांव में सबका आधार कार्ड बन गया है अथवा नहीं। उचित यही होगा कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने के साथ महाविद्यालय में कार्ड बनाने वाली संस्था के सहयोग से कैम्प लगाया जाय जिससे आप द्वारा चयनित गांव के समस्त अर्ह लोगों का आधार कार्ड बनवाया जा सके। प्रत्येक महाविद्यालय में एक वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष स्थापित किया जाय जिससे काले में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके महाविद्यालयों के समस्त अर्ह छात्रों एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यों तथा चयनित ग्राम के समस्त ग्रामवासियों आदि का आन लाइन पंजीकरण कराया जा सके।

7. छात्रों के पंजीकरण के समय यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि छात्र का मतदाता पहचान पत्र बन गया है अथवा नहीं, यदि न बना हो तो जिस छात्र की आयु 01 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष पूर्ण होती है तो उसका फार्म भरवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय भेज दिया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि छात्र के घर एवं चयनित ग्राम में समस्त वोटर कार्ड बनवाया जाय। चयनित ग्राम एवं छात्र के अभिभावक अर्ह होने की स्थिति में मतदाता पहचान बनवाने के लिए छात्र आदि को प्रेरित किया जाय।
8. महाविद्यालय में एक मतदाता कक्ष की स्थापना की जाय तथा इलेक्ट्रोरल लिटरेसी क्लब का गठन किया जाय और जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरक्षक द्वारा मांगी समस्त सूचनाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।

5. **सामान्य कार्यक्रम–**

सामान्य कार्यक्रम का संचालन कार्य योजना के अनुसार निम्नवत् किया जाय–

1. 24 सितम्बर को महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाय।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत एक दिवसीय शिविर में एक शिविर रक्तदान एवं एच0आई0बी0 (एड्स) एवं 1 शिविर साक्षरता एवं जनसंख्या नियन्त्रण पर अवश्य आयोजित किया जाय।
3. 21 जून को प्रतिवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाय एवं उसकी आख्या पेपर कटिंग एवं फोटो आदि इस कार्यालय को अवश्य प्रेषित किया जाय।
4. शासन द्वारा एक दिवसीय शिविर की निम्न तिथियां एवं कार्यक्रम प्रस्तावित है–

1. 08 सितम्बर	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस
2. 01 अक्टूबर	राष्ट्रीय रक्तदान दिवस
3. 19 नवम्बर से 25 नवम्बर	साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता दिवस
4. 01 दिसम्बर	अन्तर्राष्ट्रीय एड्स दिवस
5. 25 जनवरी	राष्ट्रीय मतदाता दिवस

5. प्रत्येक इकाई द्वारा एक गांव गोद लिया जायेगा तथा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक माह आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत आख्या, फोटोग्राफ एवं पेपर कटिंग आदि शासन को ई–मेल sloup.nss@gmail.com एवं युवा कार्यालय को ई–मेल–nssrcluknow@yahoo.com द्वारा आनॅलाइन भेजी जाय तथा विश्वविद्यालय को प्रत्येक माह डाक द्वारा प्रेषित किया जाय। अन्यथा किया कार्य मान्य नहीं होगा।

6. सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के दिशा निर्देशानुसार विधि साक्षरता शिविर, जल संरक्षण, अटल पेंशन योजना, स्वच्छता, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन, मासिक रिपोर्ट के अन्तर्गत प्रेषित किये जायेंगं। सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की मीडिया के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रचार–प्रसार कराया जाय।

7. सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आख्या प्रपत्र के अनुसार प्रति इकाई द्वारा सम्बन्धित विषय पर कम से कम दो वार्ता, ध्वजारोहण, कम से कम एक प्रदर्शनी, रक्तदान शिविर, पोस्टर प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम कार्य योजना के अन्तर्गत अवश्य दर्शाये जाय एवं समस्त कार्यक्रम कार्ययोजना में दर्शाये गये तिथियों एवं स्थान पर ही आयोजित किये जायं, सामान्य कार्यक्रम के कार्य योजना के प्रारूप पर 01 दिवसीय 04 कार्यक्रम दिवसीय कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर चयनित ग्राम में आयोजित कराये जायं एवं 30 कार्यक्रम चयनित ग्राम/महाविद्यालय परिसर में अपनी सुविधानुसार कार्ययोजना के अनुरूप ही आयोजित कराये जाय। समस्त कार्यक्रम कुल 120 घण्टे का ही होगा। एक इकाई द्वारा केवल एक ही गांव चयनित किया जाय। पंजीकरण रिजिस्टर, कार्य योजना, सूची पंजीकृत छात्र संख्या एवं निवेश पत्र इकाईवार अलग–अलग बनाया जाय।

6. **विशेष शिविर आयोजन–**

वर्तमान सत्र 2018–19 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जिलेवार विशेष शिविर की निम्न तिथियां प्रस्तावित की गयी हैं। महाविद्यालय द्वारा इन्हीं तिथियों के मध्य शिविर आयोजित की जाय। कैम्प के आयोजन के उपरान्त कम से कम 21 पन्ने की रिपोर्ट (जिसमें कार्यक्रम की आख्या, फोटोग्राफ एवं पेपर कटिंग आदि) बाइडिंग करके इकाईवार शासन को ई–मेल sloup.nss@gmail.com एवं युवा कल्याण को ई–मेल nssrcluknow@yahoo.com द्वारा ऑनलाइन भेजी जाय तथा इस कार्यालय को पत्र वाहक द्वारा को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरानत ही अगले वर्ष के लिए शासन द्वारा इकाई का आवंटन किया जायेगा।

i.	15 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2018 –	गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी
ii.	01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर, 2018 –	सुलतानपुर, अमेठी
iii.	16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर, 2018 –	फैजाबाद, अम्बेडकर नगर
iv.	15 जनवरी से 30 जनवरी, 2019 –	सुल्तानपुर, अमेठी
v.	01 फरवरी से 15 फरवरी, 2019 –	गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी
vi.	15 फरवरी से 25 फरवरी, 2019 –	फ़ैजाबाद, अम्बेडकर नगर

विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर के आयोजन की सूचना महाविद्यालय द्वारा कम से कम 15 दिन पूर्व स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक तथा ई–मेल द्वारा निर्धारित प्रारूप को पत्र के साथ संलग्न कर निम्नलिखित को अवश्य उपलब्ध कराया जाय। विश्वविद्यालय एवं सभी सम्बन्धित अधिकारियों को को विशेष शिविर के आयोजन की सूचना 15 दिन पूर्व उपलब्ध न कराने की दशा में आयोजित शिविर मान्य नहीं होगा तथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्याल प्रशासन की होगी। पत्र के साथ निम्‍ प्रपत्र को भी पूर्वण कर इकाईवार संलग्न कर सभी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित अधिकारियों का पता निम्नवत् है–

i. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, विधान भवन, लखनऊ। ई–मेल आइडी–sloup.nss@gmail.com.

ii. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय भवन आठवाँ तल, हाल नं0–1 सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ। ई–मेल आइडी– nssrclucknow@yahoo.com.

iii. डॉ0 समीर सिन्हा, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद। ई–मेल आइडी– sameerganpat@gmail.com.

iv. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

v. सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी।

vi. जिला नोडल अधिकारी/जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सम्बन्धित जिला।

<u>विशेष शिविर आयोजन की सूचना का प्रपत्र</u>

1. विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र का नाम–
2. महाविद्यालय/माध्यमिक विद्यालय/पालिटेक्निक कालेज/विश्वविद्यालय परिसर का नाम–
3. एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की तिथि–

4. विशेष शिविर आयोजन की तिथि–
5. प्राचार्य का नाम व मोबाइल नम्बर–
6. कार्यक्रम अधिकारी का नाम–
7. कार्यक्रम अधिकारी का मोबाइल नं0/कांटेक्ट नं0–
8. कार्यक्रम अधिकारी – प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित
9. चयनित ग्राम का नाम–
10. स्वयं सेवकों के रूकने का स्थान व पता–
11. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती के ग्राम प्रधान/सभासद का नाम–
12. ग्राम प्रधान/सभासद के विशेष शिविर– हाँ/नहीं
13. चयनित ग्राम में एक दिवसीय सामान्य कार्यक्रम क अन्तर्गत सर्वेक्षण के आधार पर विशेष शिविर का प्रोजेक्ट–
14. चयनित ग्राम/मलिन बस्ती तक पहुचने का साध व दिशा मार्ग–

नोट– 01 यूनिट हेतु केवल एक ग्राम चयनित किया जाय। गांव बड़ा हो अथवा छोटा अलग–अलग चयनित किया जाय। विशेष शिविर की सूचना में प्राचार्य एवं कार्यक्रमाधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर तथा चयनित ग्राम के प्रधान का नाम एवं उनका मोबइल नम्बर तथा कैम्प स्थल तक पहुंचने के लिए मार्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जाये, कैम्प रजिस्टर इकाईवार बनेगा।

कायक्रमाधिकारी का हस्ताक्षर
इकाईवार
सील

प्राचार्य का हस्ताक्षर
सील

कैम्प रजिस्टर निम्नवत् बनेगा–
महाविद्यालय का नाम–

वर्ष– इकाई संख्या छात्र संख्या
विशेष शिविर तिथि–

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	कक्षा	कोड नं0	हस्ताक्षर

7. राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत सामान्य कार्यक्रम एवं विशेष शिविर के दो अलग–अलग खाते खोले जायेंगे, जिसका संचालन प्राचार्य एवं वरिष्ठ कार्यक्रमाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। इसी प्रकार दो अलग–अलग कैशबुक भी बनाया जायेगा। खाता, कैशबुक एवं रजिस्टर सभी इकाईयों का एक ही होगा जिसका संचालन प्राचार्य एवं वरिष्ठ कार्यक्रमाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

8. राष्ट्रीय सेवा योजना प्रमाण पत्र कैम्प रजिस्टर पर अंकित नाम के ही अनुसार क्रम से बनाये जाय। जिस दिन प्रमाण–पत्र बनाये जाय उसी ही दिन की तिथि अंकित की जाय। चाहे प्रमाण पत्र कितना पुराना क्यों न हो। प्रमाण–पत्र अच्छी राइटिंग में लिखा जाय। प्रमाण–पत्र पर कटिंग अथवा फ्लुड लगाना मान्य नहीं होगा। प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष अप्रैल से लेकर जुलाई तक बनाकर विश्वविद्यालय को कैम्प रजिस्टर की फोटो के साथ भेज दिया जाय। जिसे प्रमाण–पत्र हस्ताक्षर के उपरान्त छात्र को उसके अंक पत्र के साथ उपलब्ध करा दिया जाय।

अतः उक्त को व्यक्ति रूचि लेकर प्राथमिकता के आधर पर पालन किया जाय।

भवदीय

डॉ0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक
डॉ0रा0म0लो0अ0वि0 फैजाबाद
23-7-18

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ.प्र. लखनऊ।
ii. डॉ0 अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ, विधान भवन, लखनऊ 226001।
iii. डॉ0 अशोक कुमार श्रोती, क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय भवन आठवाँ तल, हाल नं0–1, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ 226024।
iv. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
v. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुलतानपुर एवं अमेठी।
vi. जिला नोडल अधिकारी/जिला स्वीप कोआर्डिनेटर बहराइच, गोण्डा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुलतानपुर एवं अमेठी।
vii. निजी सचिव कुलपति–कुलपति जी को सूचनार्थ।
viii. ई0डी0पी0 सेल डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0 समीर सिन्हा
कार्यक्रम समन्वयक
डॉ0रा0म0लो0अ0वि0 फैजाबाद
23-7-18